धारा 2 : परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) **"केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम"** से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(2) **"केन्द्रीय कर"** से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संग्रहीत कर अभिप्रेत है;

(3) **"निरंतर यात्रा"** से ऐसी यात्रा अभिप्रेत है, जिसके लिए या तो सेवा के एकल पूर्तिकार द्वारा या सेवा के एक पूर्तिकार से अधिक की ओर से कार्य करने वाले किसी अभिकर्ता के माध्यम से एक ही समय एक या एक से अधिक टिकट या बीजक जारी किया गया है, और जिसमें उस यात्रा की, जिसके लिए एक या अधिक अलग टिकट या बीजक जारी किए गए हैं, किन्हीं मंजिलों के बीच कोई मध्य विश्राम अंतर्वलित नहीं है।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''मध्य विश्राम'' पद से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां कोई यात्री या तो दूसरे वाहन में स्थानांतरण के लिए या कतिपय अवधि के लिए अपनी यात्रा को किसी पश्चात्वर्ती समय बिन्दु पर पुनः प्रारम्भ करने हेतु रूकने के लिए उतर सकता है;

(4) **"भारत की सीमाशुल्क सरहद"** से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 में यथा परिभाषित सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(5) **"माल का निर्यात"** से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से माल को भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;

(6) **"निर्यात सेवाओं"** से किसी सेवा का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जब–

(i) सेवा का पूर्तिकार भारत में अवस्थित है;

(ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत के बाहर अवस्थित है;

(iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;

(iv) सेवा के पूर्तिकार द्वारा ऐसी सेवा के लिए संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में [1]**[**या जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, वहां भारतीय रुपयों में,**]** प्राप्त किया गया है; और

(v) सेवा का पूर्तिकार और सेवा का प्राप्तिकर्ता धारा 8 के *स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मात्र किसी विशेष व्यक्ति के स्थापन नहीं है;

(7) **"स्थिर स्थापन"** से ऐसा स्थान (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) अभिप्रेत है, जिसे सेवाओं की पूर्ति के लिए या अपने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के रूप में स्थायित्व की पर्याप्त मात्रा और उपयुक्त संरचना द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(8) **"माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम"** से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(9) **"सरकार"** से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

---

[1] एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

* हिन्दी संस्करण में स्पष्टीकरण के बाद ''1'' नहीं लिखा है, यहां ''1'' अंग्रेजी संस्करण के अनुसार लिया गया है।

(10) **"माल का आयात"** से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में माल लाना अभिप्रेत है;

(11) **"सेवाओं का आयात"** से किसी सेवा की पूर्ति अभिप्रेत है, जहां,–

(i) सेवा का पूर्तिकार भारत के बाहर अवस्थित है;

(ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत में अवस्थित है;

(iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत में है;

(12) **"एकीकृत कर"** से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(13) **"मध्यवर्ती"** से कोई दलाल, कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति का इंतजाम करता है या उसे सुकर बनाता है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति अपने वास्ते करता है;

(14) **"सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान"** से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति की प्राप्ति के संबंध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, प्राप्तिकर्ता के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान;

(15) **"सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान"** से अभिप्रेत है,–

(क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति के प्रदान किये जाने के संबंध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, पूर्तिकार के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान;

[2][(16) "**गैर–कराधेय ऑनलाईन प्राप्तिकर्ता**" से ऐसा कोई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्य क्षेत्र में अवस्थित ऑनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुँच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" पद के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के खण्ड (vi) के निबंधनानुसार एक मात्र रूप से रजिस्ट्रीकृत है।]

(17) **"आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं"** से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनका परिदान इंटरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी या किसी इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और जिसकी प्रकृति उनकी पूर्ति को [3][.....] सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव में सुनिश्चित करना असंभव है तथा जिसके अन्तर्गत ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आती हैं, जैसे,–

(i) इंटरनेट पर विज्ञापन देना;

(ii) समूह सेवाएं प्रदान करना;

(iii) दूरसंचार नेटवर्कों या इंटरनेट के माध्यम से ई–पुस्तकें, चलचित्र, संगीत, साफ्टवेयर और अन्य अमूर्त चीजें प्रदान करना;

(iv) कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुधार्य या अन्यथा डाटा या सूचना प्रदान करना;

(v) डिजीटल अंतर्वस्तु (चलचित्र, दूरदर्शन कार्यक्रम, संगीत इत्यादि) की आनलाइन पूर्ति करना;

(vi) डिजीटल डाटा भंडारण; और

---

[2] वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (16) प्रतिस्थापित। यह संशोधन अधिसूचना क्रमांक 28/2023–केंद्रिय कर, दिनांक 31.07.2023 द्वारा दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

"(16) **"गैर–कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता"** से कोई ऐसी सरकार, ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी, सरकारी प्राधिकरण, व्यष्टि या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के संबंध में आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी प्राधिकरण" पद से,–

(i) संसद् या किसी राज्य विधान–मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई भी अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिसके पास संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को [A][या अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को] सौंपे गए किसी कृत्य को कार्यान्वित करने के लिए साधारण शेयर या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक की भागीदारी है;

A एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

[3] वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा "आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे" शब्द विलोपित। यह संशोधन अधिसूचना क्रमांक 28/2023–केंद्रिय कर, दिनांक 31.07.2023 द्वारा दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

[4][(vii) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (80ख) में यथापरिभाषित आनलाइन गेम खेलने को छोड़कर आनलाइन गेम खेलना;]

(18) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में **"आउट पुट कर"** से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य एकीकृत कर या उसके द्वारा अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत उसके द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय कर नहीं है;

(19) **"विशेष आर्थिक जोन"** का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में है;

(20) **"विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता"** का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (ज) में है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई प्राधिकरण और खंड (च) में यथा परिभाषित कोई सह–विकासकर्ता भी है;

(21) **"पूर्ति"** का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 में है;

(22) **"कराधेय राज्यक्षेत्र"** से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं;

(23) **"शून्य–दर पूर्ति"** का वह अर्थ होगा जो धारा 16 में है;

(24) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में है;

(25) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो जम्मू–कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के संबंध में उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

---

[4] एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा खंड (vii) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2023–एकीकृत कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(vii)** आनलाइन गेम खेलना;"